भारतसरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेलमंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD)**

No. 2009/M(C)/165/6 New Delhi, Dated 28 .03.2016

The General Manager
All Indian Railways

Sub: Washing of pillows being provided to AC class passenger on trains

Presently one pillow is being provided to each AC class passengers and its service life is prescribed as 24 months. Incidentally, no cleaning/washing has been prescribed for pillows unlike other bedroll items. As a result, though pillow covers are being used, however, owing to handling at multiple stages seeping of dirt/stains etc through pillow covers, pillows undergo severe staining and become shabby.

As per current specification pillows should be resistant to normal wash. In the past NF Railway had carried out a trial of washing the pillows in their mechanized laundry and the results were reported to be excellent. It has now been decided that Railways should carry out washing of pillows atleast every six months or prior if required so as to provide neat and hygienic pillows to every passenger.

This has approval of Board (MM).

28/03/16
(Prashant Kumar)
Director Mech Engg (Coaching)
Railway Board

Copy to:

Chief Mechanical Engineers, All Indian Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2009/एम(सी)/165/6 नई दिल्ली, दिनांक 28.03.2016

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

विषय: गाड़ियों में वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को मुहैया कराई जाने वाली तकियों की धुलाई करना।

इस समय वातानुकूलित श्रेणी के प्रत्येक यात्री को एक तकिया मुहैया कराया जाता है और उसकी सेवाकाल 24 माह निर्धारित की गई है। प्रसंगवश, अन्य बेडरोल मदों की भांति तकियों की सफाई/धुलाई निर्धारित नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, यद्यपि तकिए के कवर का उपयोग किया जाता है, परन्तु अनेक अवस्थाओं में रखे जाने के कारण तकिए के कवर से होकर धूल/धब्बे आदि के रिसने से तकिए धब्बेदार और मलीन हो जाते हैं।

वर्तमान विनिर्दिष्टों के अनुसार, तकिए सामान्य धुलाई के अनुकूल होने चाहिए। विगत में पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने यंत्रिकृत लाउन्ड्री में तकियों की धुलाई का परीक्षण किया था और इसके परिणाम उत्कृष्ट पाए गए थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि रेलें कम-से-कम प्रत्येक छः माह पर या यदि अपेक्षित हो तो उससे पहले तकियों की धुलाई करें ताकि प्रत्येक यात्री को साफ-सुथरे और स्वास्थ्य के अनुकूल तकिए मुहैया कराए जा सके।

इसे बोर्ड (सदस्य यांत्रिक) का अनुमोदन प्राप्त है।

28/03/16

(प्रशांत कुमार)
निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (कोचिंग)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।

18/04/16

18/8/16